राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांकःएफ.8(1)आ.प्र.एवंसहा/बाढ़/2014/ 8287-8323 जयपुर,दिनांक 30/7/2014.

समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान।

विषय :– मानसून के वर्तमान दौर में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ से क्षतिग्रस्त आधारभूत संरचना जैसे सड़क, पुल, बांध, नहर, मकान, फसल एवं जनहानि पर एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स के अन्तर्गत शीघ्र सहायता प्रदान किये जाने बाबत।

प्रसंग :– विभागीय पत्र कमांक 6866 दिनांक 01.07.14 एवं पत्र कमांक 7866 दिनांक 22.07.14 के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा समय–समय पर आपको अवगत कराया जाता रहा है कि राज्य में मानसून के दौरान अनेक स्थानों पर अत्यधिक वर्षा से जलभराव होने पर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने के कारण न केवल सार्वजनिक परिसम्पत्तियों (जैसे सड़क, पुल, नहर, बांध आदि) के क्षतिग्रस्त होने के सम्भावना रहती है, वरन जनहानि एवं निजी सम्पत्तियों (फसल, मकान आदि) की हानि की भी सम्भावना रहती है। इस प्रकार होने वाली क्षति में एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स के तहत प्रभावित व्यक्तियों को शीघ्र सहायता प्रदान किया जाना अतिआवश्यक है।

अतः सार्वजनिक परिसम्पत्तियों, निजी सम्पत्तियों एवं जनहानि आदि के प्रकरणों का शीघ्र सर्वे कराया जाकर आवश्यक राशि हेतु विभागीय बैब–पोर्टल के माध्यम से बजट की मॉग किया जाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त वर्षा जल निकासी एवं बाढ़ बचाव कार्यों हेतु आपके जिले को पूर्व में ही आवश्यक धनराशि अग्रिम के रूप में ऑवटित की जा चुकी है जिसका उपयोग आपदा में सर्च एवं रेस्क्यू कार्यों हेतु लिया जा सकता है। विभाग के वैब–पोर्टल पर ऑन लाईन मॉग किये जाने का उद्देश्य यह है कि आपको शीघ्र एवं किसी भी समय बजट की आवश्यकता होने पर आप द्वारा मॉग किये जाते ही बजट का ऑवटन किया जा सके।

आपके जिले में क्षतिग्रस्त सड़कों, बांधों/नहरों की तात्कालिक मरम्मत हेतु प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्रों में ही भिजवायें। साथ ही, आवासीय भवनों तथा वर्षा जनित हादसों में हुई जनहानि की सूचना भी इस विभाग को समय–समय पर प्रेषित करें।

संलग्न :– प्रपत्र संख्या 1 से 2 तक।

भवदीय

30/7/14

शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है।

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

(आवासीय भवनों की क्षति)

जिला.....

क्र. सं.	ग्राम (तहसील) का नाम	क्षतिग्रस्त आवास का पता	कच्चा या पक्का	क्षति की दिनांक	क्षति की दिनांक का वास्तविक वर्षा	क्षति का मुख्य कारण	क्षति की प्रकृति (पूर्ण / आंशिक)	क्षति का मुल्यांकन	अनुग्रहिक राहत की राशि (मापदण्डानुसार)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(बाढ़ / जलप्लावन / जलभराव से हुई जन हानि का विवरण)

जिला.....

क्र. सं.	मृतक का नाम	ग्राम (तहसील) का नाम	मृतकों की संख्या	मृत्यु का कारण	मृत्यु की दिनांक	दी गई सहायता की विवरण	यदि सहायता नही दी गई तो उसके कारण	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9